

भारतीय वधायिका में गलोटनि

संसद में गतरिध के कारण सरकार अनुदान मांगों को गलोटनि कर सकती है और बनिा कसिी चर्चा के वतित वधियक पारति कर सकती है ।

- कानूनी शब्दावली में "गलोटनि" शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है इस बारे में इसने अनश्चितता और संदेह की स्थिति उत्पन्न की है ।

गलोटनि

- गलोटनि शब्द मूल: सरि काटकर मृत्युदंड देने हेतु डज़ाइन कयि गए उपकरण को संदर्भति करता है ।
 - यह फ़रॉसीसी क़रांति के दौरान फ़रॉस में मृत्युदंड को अधकि वशिवसनीय और कम दर्दनाक बनाने के लयि पेश कयि गया था ।
- वधायी बोलचाल में गलोटनि का अर्थ है एक साथ समूह बनाना और वत्तीय वधियक को पारति करने में तेज़ी लाना । बजट सत्र के दौरान लोकसभा में यह काफी सामान्य प्रक्रया है ।
 - एक बार गलोटनि लागू हो जाने के बाद अनुदान की शेष मांगों को बनिा कसिी चर्चा के मतदान के लयि रखा जाता है ।
 - यह सुनश्चिति करता है कि आवंटति समय के भीतर बजट पारति हो जाए और सरकार बनिा कसिी देरी के अपना काम जारी रख सके ।

गलोटनि संसदीय प्रक्रया:

- बजट पेश कयि जाने के बाद संसद में लगभग तीन सप्ताह का अवकाश रहता है, इस दौरान सदन की स्थायी समतियाँ विभिन्न मंत्रालयों के लयि अनुदान की मांगों पर वचिार करती हैं एवं रपिर्ट तैयार करती हैं ।
 - संसद की बैठक दोबारा शुरु होने के बाद कार्य मंत्रणा समति (Business Advisory Committee- BAC) अनुदान मांगों पर चर्चा के लयि एक कार्यक्रम तैयार करती है ।
- कभी-कभी समय की कमी को देखते हुए सदन सभी मंत्रालयों की वयय मांगों पर वचिार नहीं कर पाती है; इसलयि कार्य मंत्रणा समति चर्चा के लयि कुछ महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों की पहचान करती है; आमतौर पर गृह, रक्षा, वदिश मंत्रालय, कृषि, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।
- सदन में वाद-वविाद समाप्त हो जाने के बाद लोकसभा अध्यकष "गलोटनि" लागू करता है, और समय बचाने के लयि अनुदान संबंधी सभी लंबति मांगों (जनि पर चर्चा हुई हो या नहीं हुई हो) तथा वधियक/संकल्प के अवचिारति खंडों पर एक ही बार में मतदान कयि जाता है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस